260

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः– एफ.3(7)पो./ICDS/2010/ जयपुर, दिनांक

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषयः— पूरक पोषाहार की मांग, आपूर्ति,भण्डारण,परिवहन,वितरण आदि के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा समय–समय पर पूरक पोषाहार की मांग, आपूर्ति, भण्डारण, परिवहन, वितरण आदि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये। यह देखने में आया है कि परियोजना अधिकारियो के द्वारा केन्द्रीयकृत व्यवस्था में आई.सी.डी.एस एवं सबला योजना के लिए पूरक पोषाहार की मांग महिने की 15 तारीख तक नही की जा रही है।

यह भी जानकारी मे आया है कि परिवहन व्यवस्था के अभाव में पोषाहार परियोजना के गोदाम में अनावश्यक रूप से भण्डारित रहता है तथा पोषाहार लाभान्वितों को नियमित रूप से वितरण नही किया जा रहा है,इसके कारण लाभान्वितों का प्रतिशत कम रहने के साथ पोषाहार के खराब/अवधिपार होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

स्टोर कीपर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को स्पष्ट निर्देश जारी करें कि पहले प्राप्त पोषाहारों का लाभान्वितों ~~को~~ वितरण पहले एवं बाद में प्राप्त पोषाहार का वितरण उसके पश्चात किया जावें। किसी भी स्थिति में पोषाहार अवधिपार नहीं हो।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते है कि आप अपने जिले मे संचालित परियोजनाओं के गोदामो का तीन दिवस मे भौतिक निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परियोजना में एक माह से अधिक आवश्यकता का पोषाहार स्टॉक में नहीं हो। परियोजना गोदामों/आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार का भण्डारण सूखे, स्वच्छ, सीलनरहित एवं हवादार स्थान पर किया जाना सुनिश्चित करावें। किये गये निरीक्षण एवं कार्यवाही की इकजाई रिपोर्ट सात दिवस मे प्रस्तुत करें। पूरक पोषाहार के भण्डारण, परिवहन एवं वितरण मे अनियमितता पाये जाने तथा परियोजना गोदाम/आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अवधिपार/खराब पोषाहार पाये जाने पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम– 17 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित करें।

नेल 3

Sd/
शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.3(7)पो./ICDS/2010/ 5568–719 जयपुर, दिनांक 1.6.11

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं